संख्या–228 / 43–2–2009–15 / 2(3)07

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 20 फरवरी, 2009

विषयः **राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित दण्ड की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जैसाकि आप अवगत है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–20 में जनसूचना अधिकारियों को दण्डित करने का अधिकार मिला है।राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित दण्ड स्वरूप जो धनराशि प्राप्त होती है उसे किस मद में जमा किया जाय इस बिन्दु पर राज्य सूचना आयोग द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित दण्ड की धनराशि को सरकारी कोष में जमा करने के बिन्दु पर यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त धनराशि को लेखा शीर्षक "0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें, –60–अन्य सेवायें,–800–अन्य प्राप्तियॉ, –11–सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत प्राप्तियॉ " में जमा की जाय।

कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
( के0के0 सिन्हा )
प्रमुख सचिव।

.....2/–